

पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़

सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर 492002

ई-मेल-igcafphq.2011@gmail.com फोन नं. 0771-2434959, फैक्स नं. 0771-2434009

क्रमांक-पु.मु./अ.म.नि./छ.स.बल मुख्या./सेक्शन-3(भर्ती)/1 - 1010 /23, दिनांक : 06/10/2023

विज्ञापन

छत्तीसगढ़ शासन गृह (पुलिस) विभाग के द्वारा पत्र क्रमांक एफ 2-04/2023/दो-गृह/रापुसे नवा रायपुर, दिनांक 21.08.2023 के माध्यम से छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल अन्तर्गत सहायक प्लाटून कमाण्डर (नर्सिंग), प्रधान आरक्षक (नर्सिंग) के कुल-75 (तकनीकी पद) रिक्त पदों को भरने की सहमति प्रदान की गई है। उक्त पत्र के अनुक्रम में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की वाहिनियों में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों के इच्छुक, पात्र पुरुष/महिला उम्मीदवारों से छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट [www.cgpolice.gov.in](http://www.cgpolice.gov.in) पर दिनांक 20/10/2023 से ऑनलाईन आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

(1) रिक्त पदों की संख्या :-

स. क्र.	पदनाम	रिक्त पद	अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अ.पि.व. (गैर-क्रीमीलेयर)	योग	वेतनमान
1.	सहायक प्लाटून कमाण्डर- नर्सिंग	13	5	2	4	2	13	वेतन मैट्रिक्स लेवल-6
2.	प्रधान आरक्षक- नर्सिंग	62	17	8	32	5	62	वेतन मैट्रिक्स लेवल-5
	कुल -	75	22	10	36	7	75	

नोट :-

1. आरक्षण :- विज्ञापित पदों में शासन के निर्देशानुसार पात्र भूतपूर्व सैनिकों के लिये 10 %, पात्र नगर सैनिकों के लिये 25 % एवं छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए 30 % समस्तर एवं प्रभागवार आरक्षण होगा।
2. विज्ञापित पदों की संख्या परिवर्तनीय है। आवश्यकतानुसार संख्या घटाई/बढ़ाई जा सकती है।
3. केवल तीन वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले नगर सैनिक को ही, नगर सैनिक कोटे में आरक्षण की पात्रता होगी।

(2) प्रस्तावित भर्ती कार्यक्रम :-

- 1 ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि 20/10/2023 (शुक्रवार)
- 2 ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरकर ऑनलाइन परीक्षा शुल्क भरने की अंतिम तिथि 30/11/2023 (गुरुवार) रात्रि 11.59 तक
- 3 परीक्षा शुल्क अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग - रु. 200/-  
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति - रु. 125/-

- |  |  |
|--|--|
| 4 आवेदन-पत्र, दस्तावेजों की जांच एवं शारीरिक मापतौल एवं तथा ट्रेड टेस्ट (प्रायोगिक परीक्षा-20 अंक) | भर्ती कार्यक्रम की तिथि पृथक से निर्धारित किया जाकर सूचना समाचार पत्रों प्रकाशित की जावेगी। अभ्यर्थी अपने प्रवेश-पत्र एवं अन्य जानकारी पुलिस वेबसाईट <a href="http://www.cgpolice.gov.in">www.cgpolice.gov.in</a> पर से प्राप्त कर सकेंगे। |
| 5 ट्रेड से संबंधित लिखित परीक्षा (80 अंक)  | उपरोक्तानुसार  |
| 6 चयन सूची जारी  | उपरोक्तानुसार  |

(3) भर्ती केन्द्र :- आवेदन-पत्र एवं दस्तावेजों की जांच, शारीरिक नापतौल (P.S.T.), ट्रेड टेस्ट (प्रायोगिक परीक्षा) हेतु - 4थी वाहिनी छ.स.बल, माना, जिला-रायपुर

(4) वेतनमान :- सहायक प्लाटून कमाण्डर (नर्सिंग) :-वेतन मैट्रिक्स लेवल-6 (प्रारंभिक वेतन रु. 25,300/-) तथा शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत देय भत्ते।

प्रधान आरक्षक (नर्सिंग) :-वेतन मैट्रिक्स लेवल-5 (प्रारंभिक वेतन रु. 22,400/-) तथा शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत देय भत्ते।

(5) निर्धारित आयु सीमा :-

- i दिनांक 1-1-2023 को आधार मानकर अभ्यर्थियों की आयु सीमा 18 वर्ष से कम एवं 28 वर्ष से अधिक न हो।
- ii यदि अभ्यर्थी आरक्षित प्रवर्ग (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व.) का हो तो उच्चतर आयु सीमा अधिक से अधिक 5 वर्ष तक शिथिल की जावेगी।
- iii छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के नियम-4 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों, जो छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी हो, की उच्चतर आयु-सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- iv उन अभ्यर्थियों की भी जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों, अथवा रह चुके हों, किन्तु उन्हें शासकीय सेवा के अयोग्य न ठहराया गया हो, उच्चतर आयु सीमा निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए शिथिल की जा सकेगी :-
  1. कोई अभ्यर्थी जो स्थाई शासकीय सेवक हो, 36 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए।
  2. कोई अभ्यर्थी जो अस्थाई पद धारण कर रहा है तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा है, 36 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, कार्यभारित कर्मचारी तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी को भी अनुज्ञेय होगी ;
  3. यदि कोई अभ्यर्थी जो छटनी किया गया शासकीय सेवक हो उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थाई सेवा की अधिक से अधिक 07 वर्ष तक की कालावधि भले ही वह एक से अधिक बार में की गई सेवाओं के कारण हो, कम करने की अनुज्ञा दी जावेगी परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से

03 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

- v ऐसे अभ्यर्थी को जो भूतपूर्व सैनिक हो उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु से 03 वर्ष से अधिक न हो।
- vi अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दंपति के सवर्ण पति/पत्नि के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा 05 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- vii छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिये सामान्य अधिकतम आयु सीमा 05 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- viii खेल नीति के अंतर्गत सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर आयु सीमा में छूट संबंधी जारी परिपत्र के प्रावधान लागू रहेंगे।
- ix उन अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मंडल के कर्मचारी हो, अधिकतम आयु सीमा को 36 वर्ष तक शिथिल किया जावेगा। (शहीद राजीव गांधी पुरस्कार, गुण्डाधुर सम्मान तथा महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान एवं राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेता अभ्यर्थी के संबंध में उच्चतम आयुसीमा 5 वर्ष तक के लिये शिथिलनीय होगी)
- x स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नान-कमीशंड अधिकारियों के मामले में अधिकतम आयुसीमा उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की कालावधि तक 8 वर्ष की सीमा के अध्येधीन रहते हुए शिथिल की जावेगी, किन्तु किसी भी मामले में उनकी आयु 36 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये। स्वयंसेवी नगर सैनिकों एवं नान-कमीशंड अधिकारियों को उनके द्वारा पूर्ण की गई नगर सेना सेवा की अवधि के पूर्ण वर्षों के बराबर शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु निर्धारित सामान्य अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाए अर्थात् उस नगर सैनिक/नान-कमीशंड अधिकारी को जिसने एक वर्ष की नगर सेना सेवा पूर्ण की हो उसे आवश्यकतानुसार सामान्य अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की, जिसने दो वर्ष की नगर सेना सेवा पूर्ण की हो उसे दो वर्ष की एवं ऐसे ही आगे के पूर्ण सेवा वर्षों के बराबर की छूट दी जाए।

## (6) शैक्षणिक अर्हताएँ :-

सहायक प्लाटून कमाण्डर  
(नर्सिंग)

➤ छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्राधिकृत त्रिवर्षीय चिकित्सा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण एवं उसका छत्तीसगढ़ मेडिकल काउन्सिल में पंजीयन अथवा 4 वर्षीय बी.एस.सी. (नर्सिंग) अथवा 3<sup>1/2</sup> वर्षीय जनरल नर्सिंग ट्रेनिंग (जी.एन.टी.) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा 3 वर्षीय जनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाइफरी (जी.एन.एम.) कोर्स उत्तीर्ण एवं किसी संस्था से छः माह का इंटर्नशिप पूर्ण, जो छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउन्सिल अथवा अन्य राज्यों के प्राधिकृत नर्सिंग काउन्सिल में पंजीकृत हो.

प्रधान आरक्षक (नर्सिंग)

➤ (10+2) प्रणाली के अंतर्गत किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए तथा शासन द्वारा प्राधिकृत किसी विद्यालय से एक वर्षीय पैरा मेडिकल प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम के साथ छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्राधिकृत संस्था से पैरामेडिकल कार्यकर्ता के रूप में पंजीयन होना आवश्यक है.

नोट:- अभ्यर्थी के पास उपर्युक्त आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं तथा अनुभव का "प्रमाण-पत्र" ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक धारित करना आवश्यक है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को जारी की गई प्रमाण-पत्र मान्य नहीं किया जाएगा।



## (7) शारीरिक अर्हता :-

सहायक प्लाटून कमाण्डर (नर्सिंग) एवं प्रधान आरक्षक (नर्सिंग)

क्रमांक	विवरण	पुरुष अभ्यर्थियों के लिये		महिला अभ्यर्थियों के लिये	
		ऊंचाई से.मी.	वक्ष (सीना) से.मी. में		ऊंचाई से.मी.
			अविस्तारित	पूर्णतः विस्तारित	
1	सामान्य जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग	162	76	81	158
2	अ.जा., मराठा, गोरखा, गढ़वाली तथा कुमाऊँ	158			158
3	बस्तर संभाग के राजस्व जिलों (बस्तर, बीजापुर, सुकमा, दन्तेवाडा, नारायणपुर, काँकेर एवं कोण्डागाँव) एवं सरगुजा संभाग के राजस्व जिलों (सरगुजा, सूरजपुर, जशपुर, कोरिया एवं बलरामपुर) के अनुसूचित जनजाति	153			153
4	शेष राजस्व जिलों के अनुसूचित जनजाति	158			158

- (अभ्यर्थी का सीना फुलाने एवं बिना फुलाने में कम से कम 5 सें.मी. का अंतर होना आवश्यक है इस विषय पर किसी प्रकार की छूट नहीं दी जावेगी।) महिला अभ्यर्थियों को इस शारीरिक अर्हता से छूट रहेगी।

नोट:-

1. अभ्यर्थी शारीरिक रूप से दिव्यांग नहीं होना चाहिए।
2. अभ्यर्थी में नॉक नी, फ्लेट फूट नहीं होना चाहिए। नॉक नी एवं फ्लेट फूट से संबंधित अर्हता सभी पदों के लिये अनिवार्य है तथा सभी अभ्यर्थियों को चिकित्सीय दृष्टि से योग्य होना चाहिए। सक्षम प्राधिकारी उपरोक्त कारणों से अनुपयुक्त ठहराये गये अभ्यर्थियों के संबंध में निर्णय ले सकेगा तथा आवश्यक होने पर जिला चिकित्सा अधिकारी से परामर्श ले सकेगा। अभ्यर्थी को आँखों से संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिए। आँखों की दृष्टि एक आँख की दृष्टि 6/9 तथा दूसरी आँख की 6/12 होना चाहिए। मुख्य रंगों में भेद करने में अभ्यर्थी को सक्षम होना चाहिए।
3. शारीरिक अर्हता एवं नापजोख में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर संबंधित भर्ती केन्द्र के अध्यक्ष द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं सभी के लिये मान्य होगा।

## (8) परीक्षा कार्यक्रम :-सहायक प्लाटून कमाण्डर (नर्सिंग) एवं प्रधान आरक्षक (नर्सिंग)

1. आवेदन-पत्र, प्रमाण-पत्र, दस्तावेजों की छानबीन एवं शारीरिक नापजोख :- प्रथमतः अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्रों, प्रमाण-पत्रों, दस्तावेजों की छानबीन की जावेगी। तत्पश्चात् पात्र पाये गये अभ्यर्थियों का बिन्दु क्रमांक-7 में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार शारीरिक नापजोख किया जावेगा (आँखों की दृष्टि एवं आँखों से संबंधित अन्य जांच को छोड़कर)।
2. ट्रेड टेस्ट {प्रायोगिक 20 अंक +लिखित परीक्षा 80 अंक} :-  
सहायक प्लाटून कमाण्डर (नर्सिंग) एवं प्रधान आरक्षक (नर्सिंग) हेतु आवेदित अभ्यर्थियों में से आवेदन-पत्रों की छानबीन एवं शारीरिक नापजोख परीक्षण में सफल पाये गये अभ्यर्थियों को संबंधित ट्रेड में टेस्ट देना होगा जो 100 अंकों {प्रायोगिक परीक्षा-20 अंक एवं ट्रेड से संबंधित लिखित परीक्षा-80 अंक कुल-100 अंक} का रहेगा। ट्रेड टेस्ट में सफल होने के लिए अनारक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को 50 % तथा अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के अभ्यर्थियों को 40 % अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा।

(9) **बोनस अंक :-** नीचे दर्शाये अनुसार प्रत्येक शीर्ष क, ख, ग तथा घ के अंतर्गत 5 अंक का बोनस अंक विहित है अधिकतम 10 अंक।

- (क) भारी मोटर यान चालन अनुज्ञप्ति धारक;
- (ख) शासन द्वारा प्राधिकृत संस्था से कम्प्यूटर पाठ्यक्रम डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण पत्र;
- (ग) खेलकूद में प्रवीणता (राष्ट्रीय स्तर) (केवल वे अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगिता जिनका सीधा संचालन उस खेल के अखिल भारतीय संघ के द्वारा किया जाता है, उसमें केवल विजेता खिलाड़ियों को ही पात्रता होगी);
- (घ) एन.सी.सी. "सी" प्रमाण पत्रधारी;

टीप :- आवेदन-पत्र भरते समय बोनस संबंधी प्रमाण-पत्र का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए वाद में दिया गया प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

(10) **यात्रा-भत्ता :-** लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अ.जा./अ.ज.जा./अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमिलेयर) के अभ्यर्थियों को नियमानुसार वास्तविक यात्रा किराया दिया जावेगा। परंतु पूर्व से शासकीय सेवा में कार्यरत उम्मीदवारों को इस सुविधा की पात्रता नहीं होगी।

(11) **चयन सूची :-** कुल पूर्णांक 100 अंक {प्रायोगिक परीक्षा-20 अंक एवं ट्रेड से संबंधित लिखित परीक्षा-80 अंक कुल-100 अंक} तथा बोनस के 10 अंक की गणना पृथक से की जावेगी। ट्रेड टेस्ट-100 अंक {प्रायोगिक परीक्षा-20 अंक एवं ट्रेड से संबंधित लिखित परीक्षा-80 अंक कुल-100 अंक} तथा बोनस अंक-10 अंक (केवल पात्रानुसार) के आधार पर चयन सूची तैयार की जावेगी। ट्रेड टेस्ट तथा बोनस अंकों में अभिप्राप्त अंकों के योग के आधार पर मेरिट क्रम में सूची तैयार की जावेगी।

(12) **चरित्र सत्यापन एवं स्वास्थ्य परीक्षण:-** नियुक्ति आदेश जारी करने के पूर्व अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन एवं स्वास्थ्य परीक्षण कराया जावेगा। चरित्र सत्यापन में कोई विपरीत टीप न होने पर और निर्धारित मापदण्ड के आधार पर पूर्ण रूप से स्वस्थ होने पर ही अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश जारी कर संबंधित इकाई में आमद देने का आदेश दिया जावेगा।

(13) **परिचीक्षा अवधि :-** चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 03 वर्ष की परिचीक्षा पर की जाएगी।

(14) **अर्हताएँ एवं अनर्हताएँ :-**

- i आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य के अन्तर्गत किसी भी जिले का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है।
- ii आवेदक का ऑनलाइन आवेदन-पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी जिले के जिला रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है।
- iii अभ्यर्थी का आचरण एवं पिछला रिकार्ड अच्छा होना चाहिये।
- iv अभ्यर्थी की ओर से अपने चयन के लिये सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास चयन समिति द्वारा परीक्षा/चयन में सम्मिलित करने के लिये उसे अयोग्य बनाने वाला माना जावेगा।

- v कोई भी पुरुष उम्मीदवार, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/नहीं होगी।
- vi कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
- vii आवेदक को आवेदन-पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

### (15) अंकसूची एवं प्रमाण-पत्र :-

भर्ती के लिये इच्छुक अभ्यर्थी दस्तावेज चेंकिंग दिनांक को मूल दस्तावेजों के साथ स्वयं के द्वारा सत्यापित निर्म्नांकित प्रमाण-पत्रों एवं अंक सूचियों की प्रतिलिपियाँ तथा 02 छायाचित्र (नवीनतम पासपोर्ट साईज) संबंधित भर्ती केंद्र में प्रस्तुत करें :-

1. ऑनलाइन जमा किये गये आवेदन-पत्र की प्रति।
2. शैक्षणिक योग्यता संबंधी समस्त प्रमाण पत्र।
3. संबंधित ट्रेड (नर्सिंग) का अनुभव प्रमाण-पत्र
4. जन्मतिथि प्रमाणीकरण हेतु आवेदित पद हेतु वांछित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता संबंधी अंकसूची (जन्मतिथि अंकित हो)
5. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण-पत्र।
6. जो अभ्यर्थी इस विज्ञापन के तहत दर्शित छूट (आयु/शारीरिक मापदण्ड/शुल्क/आरक्षण इत्यादि) का लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर रहा हो, तो उन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।
8. नगर सैनिक के लिए 03 वर्ष लगातार सेवाकाल पूर्ण करने का प्रमाण-पत्र व जिला सेनानी, होमगार्ड द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
9. शासकीय/अर्द्धशासकीय कर्मचारियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
10. विज्ञापन के बिन्दु क्रमांक-16 (10) के संबंध में स्व घोषणा पत्र/वचन-पत्र अथवा नियुक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र अथवा भूतपूर्व सैनिक का लाभ प्राप्त कर वर्तमान में सेवा में नहीं है तो तत्संबंधी प्रमाण-पत्र।

### (16) महत्वपूर्ण :-

1. आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
2. आवेदन-पत्र केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी प्रकार के मैन्युअल अथवा डॉक द्वारा भेजे गए आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
3. परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने के पूर्व स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। सभी पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को ही आवेदन करना चाहिए। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनंतिम होगा चाहे वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। अभ्यर्थी को प्रवेश-पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उसकी अभ्यर्थिता विभाग द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई है। आवेदन-पत्र, दस्तावेजों की जांच, शारीरिक नापतौल, ट्रेड टेस्ट [प्रायोगिक परीक्षाएवं ट्रेड से संबंधित लिखित परीक्षा] हेतु अभ्यर्थी के चिन्हांकन के बाद ही विभाग पात्रता शर्तों की जांच करता है एवं तदनुसार ही नियुक्ति हेतु अर्ह माने जायेंगे।
4. अनुशासन एवं नियंत्रण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के अधधीन होंगे तथा नियुक्त कर्मचारी नियुक्ता के नियंत्रण में कार्य करेंगे।



5. चयनित कर्मचारी की नियमानुसार सेवायें या तो कर्मचारी द्वारा नियोक्ता अधिकारी को या नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को एक माह की पूर्व सूचना देकर या एक माह का वेतन भुगतान कर किसी भी समय समाप्त की जा सकेगी।
6. चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार चयन समिति को होगा।
7. चयन, माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के S.L.P.(C) No. 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्वर्धन होगी।
8. भर्ती बावत कोई भी विधि संबंधी विवाद उत्पन्न होने पर क्षेत्राधिकार छत्तीसगढ़ राज्य के उच्च न्यायालय तक ही सीमित होगा।
9. शासन द्वारा समय-समय पर जारी नियम/निर्देश मान्य होने जो विभाग को लागू हों।
10. भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण अनुसार शासकीय सेवा में यदि नियुक्ति प्राप्त हो जाती है, तो उस नियुक्ति के पूर्व उसके द्वारा विभिन्न पदों के लिए किए गए आवेदनों में आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा, किन्तु इसके लिए उसे नियुक्ति के समय नियोक्ता को पूर्व में किए गए विभिन्न आवेदनों के तिथिवार विवरण के संबंध में स्व घोषणा पत्र/वचन-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। शासकीय सेवा में नियुक्ति के पश्चात् किए जाने वाले आवेदनों में उसे पुनः आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा। यदि भूतपूर्व सैनिक, आरक्षण का लाभ प्राप्त कर शासकीय सेवा में नियुक्त है तो नियुक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि भूतपूर्व सैनिक, आरक्षण का लाभ प्राप्त कर शासकीय सेवा में नियुक्त होने के पश्चात् वर्तमान में सेवा में नहीं है तो तत्संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
11. निर्धारित तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्रों को स्वीकार नहीं किया जावेगा।
12. ऑनलाइन आवेदन करने की विधि संबंधी विवरणिका वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसे पूर्णरूपेण पढ़ने के बाद ही फार्म भरा जाये। त्रुटिपूर्ण एवं अधुरे भरे फार्म अमान्य कर दिये जावेंगे।
13. तृतीय लिंग वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन में पुरुष विकल्प भरे जाने की स्थिति में पुरुष अभ्यर्थियों के निर्धारित शारीरिक मापदण्ड लागू होंगे तथा ऐसे अभ्यर्थी की भर्ती पुरुष अभ्यर्थी के विरुद्ध होगी। अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन में महिला विकल्प भरे जाने की स्थिति में महिला अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित शारीरिक मापदण्ड लागू होंगे तथा ऐसे अभ्यर्थी की भर्ती महिला अभ्यर्थी के विरुद्ध होगी। तृतीय लिंग के अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन में तृतीय लिंग विकल्प भरे जाने की स्थिति में महिला अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित शारीरिक मापदण्ड लागू होंगे तथा ऐसे अभ्यर्थी की भर्ती महिला अभ्यर्थी के विरुद्ध होगी।
14. भर्ती संबंधी अद्यतन विस्तृत जानकारी, आवेदन-पत्र/दस्तावेजों की जांच, शारीरिक नापतौल/ट्रेड टेस्ट (प्रायोगिक)/लिखित परीक्षा प्रवेश-पत्र की उपलब्धता छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट [www.cgpolice.gov.in](http://www.cgpolice.gov.in) में देखा एवं डाउनलोड किया जा सकेगा।

20/10/2023

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक

छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल

हेतु-पुलिस महानिदेशक